न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी   पंकज बडगुजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
220 / 2017	11.09.2017	15.11.2022

/ /दरम्यान/ /

1 साहिल चौधरी पुत्र श्री मीरसिंह चौधरी जाति जाट निवासी नांगलउदिया तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:-- वादी

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

प्रतिवादी

2 राजेन्द्र पुत्र मीरसिंह जाति जाट निवासी नांगलउदिया तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

तर0 प्रतिवादी

दावा-- इस्तकरारहक मय दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड।

उपस्थितिः-- 1 रणवीर सिंह यादव-- वादी

निर्णय दिनांक-- 15.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आराजी हाल ख0नं0 1154/0.16, 1155/0.18, 1159/0.34 का है0 1/2 भाग वाके ग्राम नांगल उदिया तह0 मुण्डावर में स्थित होकर मिनवादी को जरियें विरासत प्राप्त हुई है जिसका विरासत इन्तकाल दर्ज करते समय मिनवादी का नाम साहिल चौधरी के स्थान पर सुखपाल पुत्र मीरसिंह दर्ज कर दिया जो गलत है जिससे मिनवादी के हकहकूकों पर कुठाराघात हो रहा है जबकि मिनवादी के पहचान के समस्त दस्तावेजात साहिल चौधरी के नाम से है का निवेदन करते हुये विवादित आराजीयात के बाबत अंकित नाम सुखपाल पुत्र मीरसिंह को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर साहिल चौधरी पुत्र मीरसिंह दर्ज रिकॉर्ड कराये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 01 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली है मुताबिक जवाब पैरोकार वादी स्वयं सिद्ध करे व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होकर कोर्ट फीस से संबंधित एवं कानूनन है अंकित करते हुय पेश किया गया है एवं तर0 प्रतिवादी सं0 02 की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत [illegible] किया गया है जिसके मुताबिक वादी का वाद में चाही गई रिलीफ के [illegible] फरमाया जावे के बाबत का पेश है।

वादी ने अपने वादपत्र की [illegible] नकल जमाबंदी सम्वत् 2071--74, ग्राम पंचायत जसाई का प्रमाण पत्र दिनांक 03.07.2017, आधार कार्ड, मूलनिवास प्रमाणपत्र, परिवार राशन कार्ड एवं शैक्षणिक प्रमाणप[illegible] छाया प्रतियां पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये विवादित आराजीयात वादी को जरिये विरासत प्राप्त होना तथा विरासत इन्तकाल दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा सुखपाल पुत्र मीरसिंह दर्ज किया जाना तथा वादी का सही नाम साहिल चौधरी पुत्र मीरसिंह होना अवगत कराते हुये वादी के पहचान के समस्त दस्तावेजात में भी साहिल चौधरी का अंकन होना एवं उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

गलत नाम से वादी के हकहकूकों पर कुठाराघात होना एवं आराजीयात का सही रूप से उपयोग/उपभोग में बाधा उत्पन्न होना अवगत कराते हुये वादी के वाद को डिक्री फरमाये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई व पत्रावली तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के आराजी हाल ख0नं0 1154/0.16, 1155/0.18, 1159/0.34 का है0 1/2 भाग वाके ग्राम नांगल उदिया तह0 मुण्डावर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हो रहे वादी के नाम सुखपाल पुत्र मीरसिंह के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं इसके बजाय साहिल चौधरी पुत्र मीरसिंह हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **15.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

15-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावां संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
220/2017	11.09.2017	15.11.2022

//उनवान//

1 साहिल चौधरी पुत्र श्री मीरसिंह चौधरी जाति जाट निवासी नांगलउदिया तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादी

बनाम

1 राज्य सरकार जरियें भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

प्रतिवादी

2 राजेन्द्र पुत्र मीरसिंह जाति जाट निवासी नांगलउदिया तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

तर0 प्रतिवादी

दावा– इस्तकरारहक मय दुरूस्ती राजस्व रिकॉड।

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से एडवोकेट श्री रणवीरसिंह यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.11.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

अतः आराजी हाल ख0नं0 1154/0.16, 1155/0.18, 1159/0.34 का है0 1/2 भाग वाके ग्राम नांगल उदिया तह0 मुण्डावर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हो रहे वादी के नाम सुखपाल पुत्र मीरसिंह के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं इसके बजाय साहिल चौधरी पुत्र मीरसिंह हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना [illegible]

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 15.11.2022 को [illegible] द्वा[illegible] लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

15-11-2022

([illegible]कज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0